न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 614 / 2023

अनवान : –

1. मुकेश कुमार पुत्र दलीप कुमार जाति जाट साकिन देईदास तहसील नोहर।
2. मोतीलाल पुत्र दलीप कुमार जाति जाट साकिन देईदास तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. दलीप कुमार पुत्र भादरराम जाति जाट साकिन देईदास तहसील नोहर।
2. राणीदेवी पुत्री दलीप कुमार पत्नी संजय जाति जाट साकिन देईदास तहसील नोहर हाल निवास बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. माया देवी पुत्री दलीप कुमार पत्नी सुमीत जाति जाट साकिन देईदास तहसील नोहर हाल निवास ठाकर वाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व टिब्बी तहसील टिब्बी।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः- 16/02/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा देईदास तहसील नोहर के खाता संख्या 154 / 146 की कुल 10.1420 हैक्ट भूमि में से 1 / 3 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा श्योदानपुरा तहसील टिब्बी के खाता संख्या 48 / 51 की कुल 15.4970 हैक्ट भूमि में से 1 / 9 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जो की पूर्व में वादीगण के दादा के नाम दर्ज थी। प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 जो की वादीगण का पिता है तथा प्रतिवादीया संख्या 2 ता 3 जो की वादीगण की बहिने है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर दिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण बहिब काबिज है। वादीगण इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:05:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादीगण ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2071–74 रोही मौजा देईदास खाता संख्या 154/146, रोही मौजा श्योदानपुरा बारानी तहसील टिब्बी सम्वत 2075–78 खाता संख्या 48/51, जमाबंदी सम्वत 2071 खाता संख्या 146 रोही मौजा देईदास, जमाबंदी सम्वत 2070–73 रोही मौजा श्योदानपुरा बारानी खाता संख्या 51, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादीगण के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात् वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा देईदास तहसील नोहर के खाता संख्या 154/146 की कुल 10.1420 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा श्योदानपुरा तहसील टिब्बी के खाता संख्या 48/51 की कुल 15.4970 हैक्ट भूमि में से 1/9

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:05:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि, हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा देईदास तहसील नोहर के खाता संख्या 154/146 की कुल 10.1420 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा श्योदानपुरा तहसील टिब्बी के खाता संख्या 48/51 की कुल 15.4970 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14/02/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:05:10 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 614/2023

अनवान : –

1. मुकेश कुमार पुत्र दलीप कुमार जाति जाट साकिन देईदास तहसील नोहर।
2. मोतीलाल पुत्र दलीप कुमार जाति जाट साकिन देईदास तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. दलीप कुमार पुत्र भादरराम जाति जाट साकिन देईदास तहसील नोहर।
2. राणीदेवी पुत्री दलीप कुमार पत्नी संजय जाति जाट साकिन देईदास तहसील नोहर हाल निवास बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. माया देवी पुत्री दलीप कुमार पत्नी सुमीत जाति जाट साकिन देईदास तहसील नोहर हाल निवास ठाकर वाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व टिब्बी तहसील टिब्बी।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 614 सन 2023 निर्णय दिनांक – 16/02/24

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री विजय सिंह कड़वासरा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा देईदास तहसील नोहर के खाता संख्या 154/146 की कुल 10.1420 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा श्योदानपुरा तहसील टिब्बी के खाता संख्या 48/51 की कुल 15.4970 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/02/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:05:10 IST
Reason: SelfAttested